न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 50 / 2021 (2021 / 147) दर्ज दिनांक 19.03.2021
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. गेहरूनाथ पुत्र भूरानाथ निवासी उल्लाई (तलाई खेड़ा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र मोहननाथ जोगी
2. चांदी पत्नि मोहननाथ जोगी
3. अणछी पत्नि रूपनाथ जोगी (डिलीट)
4. किशननाथ पुत्र गांगनाथ जोगी
5. जमना पुत्री मोहननाथ जोगी
6. नानूनाथ पुत्र रूपनाथ जोगी (डिलीट)
7. पन्नानाथ पुत्र रूपनाथ जोगी
8. मंजू पुत्री रूपनाथ जोगी
9. मांगी पुत्री गांगनाथ जोगी
10. लक्ष्मी पुत्री रूपनाथ जोगी
11. शंभूनाथ पुत्र गांगनाथ जोगी
    सर्व निवासी उल्लाई (तलाई खेड़ा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री दिनेश चन्द्र बापना

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–13.08.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम उल्लाई पटवार हल्का उल्लाई भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कोशीथल तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 868 / 3 रकबा 0.0700 हे0, 870 रकबा 0.1800 हे0, 871 रकबा 0.2300 हे0, 873 रकबा 0.3400 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8200 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 64 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 व 7 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 4, 5, 8 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब नहीं देकर सीधी बहस की गई दौराने बहस विपक्षी संख्या 3 व 6 की मृत्यु हो जाने से नाम डिलीट कराने हेतु निवेदन किया । प्रार्थी अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 3 व 6 का नाम डिलीट करने पर कोई आपत्ति नही चाही की। अतः विपक्षी संख्या 3 व 6 का नाम डिलीट करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उल्लाई पटवार हल्का उल्लाई भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कोशीथल तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 868/3 रकबा 0.0700 हे0, 870 रकबा 0.1800 हे0, 871 रकबा 0.2300 हे0, 873 रकबा 0.3400 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8200 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 64 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात हककारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (राज.)